राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनांक 12.10.2006 को प्रातः 10.30 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थेः–

1.	प्रो0 परमात्मा सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री तपेश पॅवार, सचिव पशुपालन	सदस्य
3.	डा0 सुरेश चौधरी, विधायक	सदस्य
4.	श्री जे.सी.बिश्नोई (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा)	सदस्य
5.	डा0 पोकरसिंह राठौड (परियोजना निदशक अनुसंधान प्रतिनिधि निदेशक कृषि)	सदस्य
6.	डॉ भवानी सिंह	सदस्य
7.	डा0 आर.ए.सिंघानियां	सदस्य
8.	डा0 ए.के.धाहमा	सदस्य
9.	डा0 हनुमान प्रसाद	सदस्य
10.	डा0 एस.जे.सिंह	सदस्य
9.	डा0 पी.एल.नेहरा	सदस्य
10..	डा0 रामअवतार शर्मा	सदस्य
13.	श्री जे.पी.माथुर	सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव कृषि उत्पादन, प्रोफेसर मधुसुदन शर्मा, सदस्य ने बैठक में भाग नहीं लिया।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति ने डा0ए.के.गहलोत द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डा0 भवानी सिंह व डा0 पी.एल.नेहरा के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया साथ ही श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में पधारें श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर, श्री जे.सी.बिश्नोई तथा डॉ पोकर सिंह राठौड निदेषक कृषि के प्रतिनिधि के रूप में पधारने पर स्वागत किया।

राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1020	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.6.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.6.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाएः–**
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1021	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.06.2006 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि कार्यवाही विवरण के बिन्दूओं पर की गई कार्यवाही को नोट कर लिया जाए ।**
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1022	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती हेतु विकलांगों को कानून व नियमानुसार आरक्षण नियम लागू करने बाबत् । **पारित (Resolved) किया गया कि शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती हेतु विकलांगों को कानून व नियमानुसार आरक्षण नियम लागू करने के प्रकरण को राज्य सरकार को अनुमति हेतु भेज दिया जाए ।**
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1023	डा0 श्रीमति कुसुम कोठारी, सहायक आचार्य, गृहविज्ञान विस्तार शिक्षा, कृषि विज्ञान केन्द्र, कुम्हेर–भरतपुर के दिनांक 13.3.1999 से 04.04.2003 तक स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के प्रकरण को नियमित करने के संबंध में। **प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । सदस्यों का मत था कि स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के विश्वविद्यालय में क्या नियम हैं इसका पुनः परीक्षण किया जाए । स्वेच्छा से अनुपस्थिति असाधारण अवकाश (EOL) के नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं । पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण का नियमों के अंतर्गत पुनः परीक्षण किया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रकरण प्रबन्ध मंडल की सक्षमता में आता हैं या नहीं ।**

राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1024	विश्वविद्यालय द्वारा नामित सदस्यों को मानदेय राशि रूपये 500 / – देय करने के संबंध में । **पारित (Resolved) किया गया कि नामित सदस्यों को मानदेय राशि रूपये 500 / – इस शर्त के साथ देय हैं कि नामित सदस्य अपने पैतृक विभाग से दैनिक भत्ता व मानदेय नहीं लेगा ।**
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1025	अधिशाषी सारांश बाबत दसवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों तथा ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव अवलोकनार्थ । **पारित (Resolved) किया गया कि राज्यसरकार को भेजे गये प्रस्ताव की पुष्टि की जाए ।**
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1026	माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेश कमांक एफ.. / राकृवि / स्था / ग्रुप–1 / 2006 / 1132 दिनांक 31.7.2006, एफ. / राकृवि / स्था / ग्रुप–1 / 2006 / 1133 दिनांक 31.7.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1174 dt. 10.8.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1175 dt. 10.8.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1196 dt. 19.08.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1254 dt. 07.09.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1257 dt. 07.09.2006, No.PF./RAU/Estt/Gr.I/2006/1249 dt. 04.09.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.I/2006/1262 dt. 13.9.2006, No.F./RAU/Estt/Gr.II/2006/2198 dt. 13.09.2006, एफ.राकृवि / स्था / ग्रुप–.2 / 2006 / 2276 दिनांक 25.09. 2006, कमांक पं. 330(।।।) / राकृवि / स्था / ग्रुप–2 / 2006 / 2277 दिनांक 25.9.2006, निम्न के साथ पुष्टि की गईः–** **भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों में सकारात्मक भाषा का प्रयोग में किया जाए ।**

राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1027	राकृवि / बोम–63 / 2006–1 / 1006 दिनॉक 25.2.2006 के निर्णय की अनुपालना में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप –4), राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्रांक संख्या "F.15(7)Edu.4/2006 dated 13.6.2006 regarding not allow two advance increments on acquiring Ph.D. Degree during service period till the approval of the Finance Department is received in this regard" अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं । **Resolved that action to grant two advance increment on acquiring Ph.D. degree during service period be not taken till the approval from Finance Department, Govt. of Rajasthan is received.**
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1028	अन्य कोई प्रकरण हो तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार करने बाबत् । इस मद को पूरक कार्य सूची मे शामिल कर लिया गया हैं।
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1029	विश्वविद्यालय से संबधता महाविद्यालय से प्रतिवर्ष की संबधता शुल्क राशि में वृद्वि करने बाबत् । **प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण को आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में विचारार्थ हेतु रखा जाए ।**
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1030	प्रबन्ध मण्डल के निर्णय बैठक दिनांक 24.6.2006 में पारित प्रस्ताव संख्या राकृवि / बोम–65 / 2006–3 / 1012 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश कमांक प (बोम.एजे.) / राकृवि / स्था / ग्रुप–2 / 2006 / 2292 दिनांक 27.9. 2006 की पुष्टि करने बाबत् । **यह प्रकरण विचरार्थ रखा गया और प्रबन्ध मण्डल को यह अवगत करवाया गया कि स्थानापन्न, अस्थाई, तदर्थ, स्टॉपगेप–अरेजमेंट के रूप में जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया और जिनकी सेवाएं निरन्तर बनी रही उनकी सेवाएं नियमानुसार पेंशन में शामिल करने योग्य हैं और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायलय ने निर्णय भी पारित किये हैं ।** **बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण तथ्यों के साथ इस प्रकरण को आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में रखा जाए ।**

राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1031	माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 330(111) / राकृवि / स्था / ग्रुप 2 / 2006 / 2308 दिनांक 3.10.06 की पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि कुलपति महोदय द्वारा जारी किये गये आदेश 330(111)राकृवि / स्था / ग्रुप 2 / 2006 / 2308 दिनांक 3.10.2006 की पुष्टि की जाए।**
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1032	विश्वविद्यालय के अधिकारियों को वाहन सुविधा राज्यसरकार के आदेश क्रमांक प.4(1)स्टे.मो.गै / 06 पार्ट दिनांक 5.4.2005 के तहत दिलवाने बाबत् । **पारित (Resolved) किया गया कि मद को स्थगित किया जाए।**
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1033	डा0 सुरेश चौधरी, माननीय विधायक राजस्थान विधान सभा, एवम् सदस्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्तावों के सम्बन्ध में 1. श्री रविन्द्र सिंह वाहन चालक केवीके को नियमित वेतनमान देने के संबंध में । **विस्तृत विचार विमर्श के बाद पारित (Resolved) किया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार कोई कार्यवाही संभव नहीं हैं किन्तु राज्यसरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही की जावे ।** 2. कृषि विज्ञान केन्द्र, आबूसर(झुंझनू) के फार्म के मध्य से गांव वालों को रास्ता देने के संबंध में । **प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । माननीय सदस्यों को पूर्व में प्रबन्ध मण्डल की बैठक की मद संख्या एयू / बोम–57 / 2004–2 / 943 दिनॉक 24.6.2006 द्वारा लिये गये निर्णय को बताया गया । डा0 सुरेश चौधरी, विधायक एवं माननीय सदस्य से कृषि विज्ञान केन्द्र, आबूसर (झुन्झनु) में फार्म की वस्तुस्थिति देखने के लिये निवेदन किया गया ।** 3. विश्वविद्यालय शिक्षकों को चयनित (सलेक्शन)

	एवम् सीनियर स्केल का लाभ देने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि चयनित (सलेक्शन) एवम् सीनियर स्केल का लाभ देने बाबत राज्य सरकार की कोई रोक नहीं हैं परन्तु अभी तक राज्यसरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हैं । स्वीकृति बाबत सार्थक प्रयास किये जाए ।**
राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1034	अन्य कोई प्रकरण हो तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार करने बाबत । डा0 सुरेश चौधरी, विधायक ने विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर से प्राप्त पत्रांक जो वरिष्ठ तकनीकी सहायक / लेक्चरर व अनुदेशक के पदौन्नति बाबत् वित्तीय भार के संबंध में था । **यह पारित (Resolved) किया गया कि चाही गई सुचना शीध्र भेज दी जाए ।**

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

(जे.पी.माथुर)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव

(परमात्मा सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष